बैंक के सभी ग्राहकों के लिए सार्वजनिक सूचना

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) /पुन: केवायसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि अपने खातों की पुन:केवायसी अनुपालन स्थिति का अद्यतन करने और अपने खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए अपनी **गृह शाखा में** आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों (ओवीडी) यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आदि (जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर समय-समय पर अद्यतित बैंक की केवायसी नीति में उल्लिखित है) की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रदान करें -

1. **यदि आपका खाता 31/12/2018 से पहले खोला गया है** तो आपकी हाल ही की तस्वीर के साथ पहचान का प्रमाण और वर्तमान पते का प्रमाण स्थापित करने के लिए ओवीडी।
2. अनिवासी भारतीय खाता धारकों को वीजा विवरण के साथ वैध पासपोर्ट की नवीनतम सत्यापित प्रति, एफएटीसीए /सीआरएस प्रमाणीकरण सहित प्रस्तुत करना होगा, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. जिन ग्राहकों ने अभी तक ऊपर उल्लिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इन दस्तावेजों को 31 मई 2021 से पहले प्रस्तुत कर दें।

कृपया ध्यान दें कि 31/05/2021 से पहले उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने से आपके खाते को तब तक के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, जब तक उपरोक्त औपचारिकताओं का आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता। हम आपकी तत्काल प्रतिक्रिया और सहयोग की आकांक्षा करते हैं ताकि बैंक आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सके।

स्थान : पुणे
दिनांक : 28.01.2021

महाप्रबंधक
निरीक्षण और लेखापरीक्षा
प्रधान कार्यालय, पुणे